

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक सितम्बर, 2021

क्रमांक एफ 20-52/2019/11/6 : चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

1/ अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग द्वारा जारी “छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर 2020 में अंकित संशोधन क्रमांक-13 (तेरह) के अनुसरण में विभाग के द्वारा “छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम-2019” के परिशिष्ट-(6.2) संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-52/2019/11/6 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के बिन्दु क्रमांक-(6) के उप बिन्दु-(6.1) में वर्णित प्रावधान एवं तालिका के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(6.1) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान -

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति सुविधा के स्थान पर विकल्प लिए जाने पर) देय होगा -

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	35	35	40	60	45	65
	ब	35	40	40	65	45	70
	स	35	60	35	80	40	90
	द	45	70	40	90	45	100
मध्यम उद्योग	अ	30	60	35	70	40	80
	ब	35	70	40	80	45	90
	स	35	80	45	100	45	110
	द	40	100	45	110	50	120

टीप -

(अ) पात्र लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार परिशिष्ट-6.2 अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा परिशिष्ट 6.3 (औद्योगिक नीति 2019-24 में वर्णित) अनुसार नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।



(ब) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति हेतु एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा, तथा अनुदान स्वीकृति के उपरान्त किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी।

2/ उपरोक्त संशोधनों के तारतम्य में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-52/2019/11/6 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 में जिस स्थान पर “सूक्ष्म श्रेणी” उल्लेखित है, उसके स्थान पर “सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी” पढ़ा जावे। साथ ही बिन्दु क्र. (5.10) की द्वितीय पंक्ति में “न्यूनतम 10 वर्ष” के स्थान पर “न्यूनतम 20 वर्ष” पढ़ा जावे। अधिसूचना के अन्य सभी प्रावधान यथावत् लागू होंगे।

यह संशोधन इस संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20-52/2019/11/6)
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर दिनांक 17 सितम्बर 2021

1. संचालक, उद्योग संचालनालय (छ0ग0), भूतल, उद्योग भवन, रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, प्रथम तल, उद्योग भवन रायपुर।
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
.....(छ.ग.)।

--की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियों इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।



प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग